''अगर तुम रसुल (सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम) की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे'' (कुरआन)

एक बातचीत

अब्दुल्लाहः अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह ।

अहमदः वालेकुमस्लाम वरहमतुल्लाह व बरकातह् । कहिये ।

अब्दुल्लाहः एक मसला दर्यापत करने आया हूं।

अहमदः फरमाईये । बंदा हाजिर है ।

अब्दुल्लाह: सुना है अहले ह़दीस एक नया ही फिरका निकला है जो न सहाबा-ए-किराम

को मानते है न इमामो को बल्कि बुजुर्गो को भी गालियां देते है।

अहमदः भाई । यह झूठी बाते फैलाई हुई है (प्रोपेगण्डा), हम न किसी को बुरा कहते है,

न गाली देते है, बल्कि इज्जत वालो की इज्ज़त करते है।

अब्दुल्लाह : आप इमामो को मानते है ।

अहमदः क्यो नहीं।

अब्दुल्लाहः लेकिन लोग तो कहते हैं आप इमामों को नहीं मानते ।

अहमदः ईसाई भी तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, तो

क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते ?

अब्दुल्लाह : हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते है ।

अहमदः फिर ईसाई क्यो कहते है कि नहीं मानते ।

अब्दुल्लाहः इसलिये कि जैसे वो मानते है वैसा हम नहीं मानते ।

अहमद : उसी तरह से लोग हमें कहते है क्योंकि जैसे वो इमामों को मानते हैं वैसे हम

नहीं मानते

अब्दुल्लाह : वो इमामो को कैसे मानते है ?

अहमद् ः निषयों की तरह ।

अब्दुल्लाहः निबयों की तरह कैसे ?

अहमदः उनकी पैरवी करते हैं, उन के नाम पर फिरके बनाते हैं जबकि पैरवी और

निस्बत सिर्फ नबी का हक है। कितने अफसोस की बात है कि ईसाई जो

काफिर है वो तो अपनी निरुवत अपने नबी की तरफ करके ईसाई कहलाये और आप मुसलमान हाते हुए अपने नबी को छोड़कर अपनी निरुवत इमाम की तरफ करे और हनफी कहलाये। क्या ईसाई अच्छे न रहे जिन्होंने कम से कम निरुवत तो अपने नबी की तरफ की।

अब्दुल्लाह : आप जो हनफी नहीं कहलाते तो क्या इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते ?

अहमदः अगर हम हनफी नहीं कहलाते तो उस के यह मानी तो नहीं कि हम उनको इमाम नहीं मानते । हम उन को इमाम मानते है लेकिन नबी नहीं मानते कि आप की तरह उन के नाम पर हनफी कहलाये । आप ही बताये आप जो शाफई नहीं कहलाते तो क्या इमाम शाफई रह0 को नहीं मानते ?

अब्दुल्लाह : हम इमाम शाफई रह0 को जरूर मानते है लेकिन जब हनफी कहलाते है तो फिर शाफई कहलाने की क्या जरूरत ।

अहमदः हमें भी मुहम्मदी या अहले हदीस कहलाने के बाद हनफी कहलाने की क्या जरूरत ।

अब्दुल्लाहः आप मुहम्मदी क्यो कहलाते है।

अहमदः आप अपने इमाम के नाम पर हनफी कहलाये हम अपने रसुल हज़रत मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुहम्मदी कहलाते है जिन्हे हम अपना इमाम तस्लीम करते है और हमारे इमाम तो सारे निबयों के भी इमाम है और सारी कायनात में हमारे इमाम की बात के बाद किसी नबी के लिये भी ये गुंजाईश नहीं की वो इसके खिलाफ बोले या करे। अब आप बताईये ये निस्बत बेहतर है या हनफी।

अब्दुल्लाह : निस्तब तो मुहम्मदी ही बेहतर है लेकिन हनफी भी तो गलत नहीं ।

अहमदः गलत क्यो नहीं ? रसुल के होते हुये फिर किसी और की तरफ मंसूब होना किस शरियत का मसला है ? हुजुरे अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ कर किसी और की तरफ निस्बत करने का मतलब यह है कि वो गलतकार है और अपने आपको गैर की तरफ मंसूब करता है। रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया – ला तरुबू अन आबाएकुम फमन रगेबा अन अबीहे फ़क़द कफ़र यानि जो अपने बाप से निस्बत तोडता है तो कुफ्र करता है (मिश्कात)

दूसरी ह़दीस में फरमाया '''मनिद'दआ इला गैरे अबीहे व होवा यालमो फिल जन्नतो अलेहे हराम'' यानि जो अपनी निस्बत गैर बात की तरफ करता है उस पर जन्न्त हराम है (मिश्कात)

जब आहंजरत सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीनी रहनुमा है तो उनको छोडकर गैर की तरफ निरुवत करना बेढ़ीनी नहीं तो और क्या है ? इसके अलावा आप बताये हनफी बनने के लिये किसने कहा है ? क्या अल्लाह ने कहा या उस के रसुल ने या खुढ़ इमाम साहब ने ? जब हनफी बनने के लिये किसी ने कहा नहीं हनफियत इस्लाम की कोई किस्म नहीं, हनफियत नाम की इस्लाम में कोई दावत नहीं तो हनफी निस्वत गलत क्यो नहीं?

हनफी कहलाने वाले जितने पहले गुज़रे है क्या वो सब गलत थे ? अब्दुल्लाह :

पहले के हनफी जो थे उनकी यह निस्बत शागिदीं की निस्बत थी, मज़हबी निस्बत नहीं थी। यह निस्बत गुमराही उस वक्त बनती है जब मज़हबी हो और फिरकापरस्ती की बुनियाद पर हो अगर यह निस्बत उस्तादी शागिर्दी की हो तो कोई हर्ज नहीं। और यही सवाल कि जो पहले गुजर गये क्या वो गलत थे यही सवाल फिरऔन ने हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम से किया था तो हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम ने कहा ''इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब मे दर्ज है, मेरा रब न चुकता है और न भुलता है'' (सुरह ताहा आयत 51-52)।

अगर हनफी कहलाना सही नहीं क्योंकि फिरकापरस्ती है तो अहले ह़दीस अब्दुल्लाह : कहलाना भी तो फिरकापरस्ती है।

> अहले ह़दीस कोई फिरका नहीं है अहले ह़दीस तो ऐन इस्लाम है इस्लाम नाम नबी की पैरवी का है नबी की पैरवी उन की ह़दीस पर अमल करने से हो सकती है लिहाजा अहले ह़दीस बने बगैर तो चारा ही नहीं । और अहले ह़दीस सिफाती नाम है, जैसे अल्लाह का ज़ाती नाम ''अल्लाह'' है और रहीम, रहमान, गफ्फार, करीम, कुदुस, गौस, वगैरह वगैरह ये सब अल्लाह के सिफाती नाम है. जैसे मदीना के सहाबा अंसार कहलाये अंसार का मतलब

अहमद् :

अहमदः

होता है मदद करने वाला और उन्होंने हिजरत करके आने वाले सहाबा की मदद की इसलिये उनका सिफाती नाम ''अंसार'' हुआ । और जो सहाबा किराम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गये उनका सिफाती नाम ''मुहाजिर'' हुआ । जिस तरह हज़रत अब्दे शम्स रिदअल्लाह ताआ़ला अनहू का सिफाती नाम ''अबुहुरैरा'' पड़ा उन्हें इसी नाम से आज तक जाना जाता है असली नाम से कम ही लोग वाकिफ है । उसी तरह हमारा ज़ाती नाम 'मुसलमान' है और चूंकि हम हर अमल पर हुजुर अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल, अमल, तकरीरी (हदीस) को हुज्जत समझते है इसलिये हमारा सिफाती नाम अहले हदीस है । और सारे के सारे सहाबा, ताबई, ताबे ताबई मुहदेसीन, फुकहा किराम, सल्फ सालेहीन सब अहले हदीस ही थे ।

अब्दुल्लाह: हदीस को तो हम भी मानते है।

अहमदः सिर्फ मानते ही है अमल नहीं करते अगर अमल करते होते तो अहले ह़दीस

होते । आदमी मानता बहुतो को है लेकिन मंसूब उसी की तरफ होता है जिस से

ज्यादा ताल्लुक होता है । मानने को तो आप हदीस को भी मानते है और इमाम

शाफाई रह0 को भी, लेकिन अहले ह़दीस कहलाते है ना शाफाई बल्कि हनफी

कहलाते है क्योंकि आपका असल ताल्लुक इमाम अबु हनीफा रहमतुल्लाह

और उनके फिकह से है। मानने को हम भी इमामो को को मानते है लेकिन

मंसूब सिर्फ मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही होते है क्योंकि

उनकी पैरवी करते है और उने से ही ज्यादा ताल्लुक है।

अब्दुल्लाह: हुज़ुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब मानते है नबी सल्लाल्लाहु

अलैहि वसल्लम के बाद आप का कोई इमाम नहीं?

अहमदः हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी इमाम की जरूरत है ?

अब्दुल्लाह: जिन्दगी हरकत में है नये नये मसाइल पैदा होते है आखिर वो किस से ले ?

अहमदः हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम से लो ।

अब्दुल्लाह: उन से अब कैसे ले ? वो अब कहां है ?

अहमदः आप हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल नहीं ?

अब्दुल्लाहः क्यों नहीं हयाते नबी का मै जरूरत कायल हूं ।

अहमदः फिर इमाम की क्या जरूरत ? जो लेना हो तो नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो

अब्दुल्लाह : वो अब क्या देते है ?

अहमदः अगर कुछ देते नहीं तो हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे और उस

का फायदा क्या ?

अब्दुल्लाह : हयात का यह मतलब तो नहीं कि वो अब कुछ देते लेते है ।

अहमदः फिर हयात का और क्या मतलब है ?

अब्दुल्लाह : हयात का मतलब तो यह है कि वो सलाम सुनते है ।

अहमदः वयो वो सिर्फ सलाम सुनने के लिये हयात है। यह कैसे कि उन के आशिक उन

की आंखो के सामने शिर्क, व बिद्अत करे और वो उनको गुमराह होता देखते

रहे और सलाम सुनते रहे । क्या वो सलाम सुनने के लिये दुनिया मे आये थे या

शिर्क व बिद्अत को मिटाने और दीन सिखाने के लिये।

अब्दुल्लाह : दीन तो वो सिखा कर गये, अब क्या सिखाना है ?

अहमदः अगर वो दीन सिखा गये तो फिर इमाम की क्या जरूरत?

अब्दुल्लाह : जिन्दगी में नित नये मसाइल पैदा होते रहते है जिनका हल इमाम ही पेश कर

सकता है इसलिये इमाम का होना जरूरी है।

अहमदः आजकल आपका इमाम कौन है जो आपको दरपेश मसले हल करता है ?

अब्दुल्लाह : हमारे इमाम तो इमामे आज़म अबू हनीफा रहमातुल्लाह है ।

अहमदः वो कब पैदा हुये ?

अब्दुल्लाह : सन् ८० हिजरी मे यानी हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर साल बाद

अहमदः यया उनके बारे में आपका अकीदा हयातुलइमाम का है ?

अब्दुल्लाह : नहीं वो तो फौत हो चुके है ।

अहमदः उनको फौत हुये कितना अर्सा हो गया ?

अब्दुल्लाहः तकरीबन १२८० साल ।

अहमदः जब आप इमाम को हयात भी नही समझते और हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि

वसल्लम को हयात मानते है और हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम और

इमाम साहब की वफात के बीच कोई ज्यादा लंबा अर्सा भी नहीं तो फिर यह क्या बात है कि इमाम की फिकह तो जिन्दगी के मसले हल कर ले और हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिकह फेल हो जाये और यह काम न कर सके।

अब्दुल्लाह :

इमाम साहब ने अपनी जिन्दगी में असूले दीन को सामने रख कर फिकह की ऐसी तदवीन (संकलन) कर दी कि लाखों मसले एक जगह जमा कर दिये जो रहती दुनिया तक काम आयेगे।

अहमद् :

हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम क्यो नहीं किया ? आखिर इस की क्या वजह है कि हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशकदां दीन तो सिर्फ सो साल काम दे सका लेकिन इमाम साहब ने दीन को ऐसे अंदाज़ से पेश किया कि आज तक काम दे रहा है बिल्क कयामत तक काम देता रहेगा। इस की वजह क्या है ? हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो सो साल बाद ही इमाम की जरूरत पड़ गई जो जिन्दगी के बढ़ते हुये मसाइल का हल पेश करे लेकिन इस इमाम के बाद तेरह सो साल गुजर गये आज तक किसी इमाम की जरूरत पेश नहीं आई। वही इमाम वही फिकह काम दे रहे है और आप उन के नाम पर हनफी चले आ रहे हैं। अगर इमाम साहब ऐसे ही थे तो उन को हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह होना चाहिये था ताकि इरवित्नाफात ही न होते, न मुहम्मदी और हनफी का झगड़ा होता न इमामो का चक्कर होता, सब एक होते और हनफी होते। अजीब बात यह है कि हयातुन्नबी आप हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते है और मसले इमाम साहब के मानते है । कलमा मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पदते है और हनफी बन कर पैरवी इमाम अबू हनीफा रह0 की करते है।

अब्दुल्लाह :

आप लोग का हयातुन्नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यक़ीन क्यो नहीं? अगर हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हो तो हम हयातुन्नबी पर यक़ीन करे। इस अकीढ़े का कोई फायदा हो तो हम उस को माने। जब आप लोग हनफी बन गये तो हयातुन्नबी का अकीदा कहां रहा। हकीकत यह है कि आप लोग जो हयातुन्नबी को मानते है तो सिर्फ रसमी तौर पर। दिल व

अहमद् :

अक्ल से आप भी इस को सही नहीं समझते अगर आप लोग इसे सही समझते होते तो कभी हनकी न बनते । आप का हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हनकी बन जाना इस बात की बय्यन दलील है कि आप हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात नहीं समझते वरना कौन ऐसा बदबख्त है जो नबी की मौजुदगी में इमाम और पीर पकड़ता फिरे । आप जो इमाम और पीर पकड़ते है तो इस का मतलब है कि आप हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो हयात नहीं समझते या काफी नहीं समझते ।

अब्दुल्लाह : आप लोग हुजुर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बिल्कुल कायल नहीं है ?

अहमदः हम लोग हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरज़खी हयात के कायल है, दुनियावी हयात के कायल नहीं ।

अब्दुल्लाह : इस का क्या मतलब ?

अहमदः यही कि दुनिया मे आप खुद हयात नहीं बल्कि आप की नबुव्वत जिन्दा है । बरज़ख मे अल्लाह के यहां आप खुद हयात है ।

अब्दुल्लाह : दुनिया मे अगर हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं तो लोग उन से दीन कैसे लेते है ?

अहमदः जिस इमाम को आप पकड़े हुये है वो क्या दुनिया मे है ?

अब्दुल्लाह : दुनिया मे तो वो भी नहीं है।

अहमदः फिर आप उन से मसले कैसे लेते है ?

अब्दुल्लाहः उनकी तो किताबे मौजूद है।

अहमदः तो यया हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम की हदीसे मौजूद नहीं ?

अब्दुल्लाह : किताबे तो इमामो ने खुद लिखी है लेकिन हदीस तो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने खूढ़ नहीं लिखी। उस को तो लोगों ने बाढ़ मे जमा किया है।

अहमद : फिकहा-ए-हनफी जिस को आप मानते है वो कौन सी इमाम साहब ने खुद लिखी है । वो भी तो लोगों ने ही जमा की है और वो भी बगैर सनद के । इमाम साहब के इन्तेकाल के 278 साल के बाद उनकी तरफ मंसूब करके फिकहा की पहले किताब कुदूरी लिखी गई और बाद मे ना जाने कितनी किताबे बगैर सनद उनकी तरफ मसूंब कर दी गई जिसमे ऐसे ऐसे मसअले मौजूद है अगर इमाम साहब उन्हें देख ले तो शर्म से ज़मीन में गड़ जाये। और इसके बरअक्स हदीसे रसूल सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम लोगों तक पूरी सनद के साथ पहुंची है, इसके अलावा हदीस दीन है अल्लाह उस की हिफाज़त का जिम्मेदार है, क्योंकि अल्लाह सुरह अल हिज्र आयत नं० 9 में फरमाता है ''बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं'' और हदीस भी कलामुल्लाह ही होती है, और अल्लाह मुहद्दीसीने इकराम की कब्रो को नूर से भर दे उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी हदीस को जमा करने में और सहीह, जईफ, और मौजू हदीसों को अलग अलग करने में वक्फ कर दी। और अब अलहम्दुिह्नाह सहीह और जईफ, मौजू हदीसों की पहचान हो चुकी है। और अल्लाह उस की हिफाज़त का जिम्मेदार है किसी इमाम की फिकहा का अल्लाह तआला जिम्मेदार नहीं है।

अब्दुल्लाह: अल्लाह तआला फिकहा का जिम्मेदार क्यो नहीं है ?

अहमद: इसलिये के फिकहा लोगों की राय और कयास को कहते है जो गलत भी हो सकती है और सही भी। फिकहा अल्लाह की वही नहीं होती जो सही ही हो। फिकहा हर इमाम और फिरके की अलेहदा अलहेदा होती है। हदीसे रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है और सब के लिए एक ही होती है, फिकहा बदलती रहती है हदीस बदलती नहीं। लिहाज़ा हदीस दीन है फिकहा दीन नहीं इसीलिए अल्लाह फिकहा का जिममेदार नहीं है।

अब्दुल्लाह: यया यह सच है कि फिकहा-ए-हनफी इमाम साहब ने खुद नहीं लिखी।

अहमदः किसी हनफी आतिम से पूछ ते । अगर कोई साबित कर दे तो

अब्दुल्लाह : मान लिया कि ह़दीस रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की है लेकिन ह़दीस को हर कोई समझ तो नहीं सकता।

अहमदः वया फिकहा को हर कोई समझ लेता है ?

अब्दुल्लाहः फिकहा तो बहुत आसान है।

अहमदः क्या बगैर पढ़े आ जाती है।

अब्दुल्लाह : नहीं, पढ़ना तो पड़ता है।

अहमदः फिर क्या हदीस पढ़ने से नहीं आती।

अब्दुल्लाह: आ तो जाती है लेकिन उस का समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ह़दीसो मे

इंखितेलाफ बहुत है ह़दीसों को समझना तो इमाम ही का काम है।

अहमदः यह सब दृश्मनाने रसूल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की उड़ाई हुई बात है

वरना ह़दीसो में इंखितेलाफ कहा ? इंखितेलाफ तो फिकहा में होता है जो नाम

ही कौल और राय का है जो है ही इख्तेलाफ का ढेर । ह़दीस तो रसूल

सल्लाल्लाहु के फेल और कौल को कहते है जिसमे इखितेलाफ का सवाल ही

पैदा नहीं होता क्योंकि दीन होने की वजह से अल्लाह उसका जिम्मेदार है।

अब्दुल्लाह: फिकहा में भी इख्तेलाफ है ?

अहमदः फिकहा मे तो इतना इखितेलाफ होता है कि जिस की कोई हद नहीं । बड़े

जरूरी और अहम मसाइल में भी इंखितेलाफ है। मिसाल के तौर पर इस्तेमाल

किये हुये पानी को ही ले ले जिस से हर वक्त वास्ता पड़ता है, कोई पाक

कहता है, कोई पलीद, कोई ज्यादा पाक, कोई कम पलीद कोई ज्यादा पलीद।

अब्दुल्लाहः यह तो आलिमो की राय का इख्तिलाफ होगा । इमाम साहब का फैसला क्या

용 ?

अहमदः इमाम साहब के ही तो मुख्तिलफ कौल है इमाम मुहम्मद रह0 कहते है कि

इमाम अबू हनीफा रह0 का कौल है कि इस्तेमाल शुद्रा पानी खुद्र पाक है,

दूसरी चीज को पाक नहीं कर सकता । इमाम साहब का दूसरा कौल यह है

कि इस्तेमाल किया हुआ पानी पलीद है। इमाम हसन रह० की रिवायत मे

निजासते गलीज़ा है और इमाम अबू युसुफ की रिवायत में निजासते खलीफा

(हिदाया 22) मुनयतुल मुसल्ली में घोड़े की झूठे के बारे में इमाम अबू हनीफा

रह0 की चार रिवायते हैं :-

एक रिवायत में निजस, एक रिवायत में मशकूक, एक रिवायत में मकरूह और एक रिवायत में पाक । बताइए अब हनकी मुकल्लिंद किधर जाये किस को सही समझे ? हनकी मौलवी ह़दीस से तो नफरत दिलाते हैं

इरिव्तेलाफ का हव्या दिखाकर और यह नहीं देखते कि हमारे घर मे क्या हो

रहा है। इन लोगों की तो यह मिसाल है ''बारिश से भागा और परनाले के नीचे खड़ा हो गया'' ह़दीस को तो छोड़ा इसिलए कि इसमें इख्तेलाफ है हालांकि उसमें इख्तेलाफ नहीं और फंस गये जाकर इख्तेलाफ की दलदल यानि फिकहा।

अब्दुल्लाह :

आप लोग हमारी तरह किसी एक इमाम को नहीं पकड़ते ?

अहमदः

नहीं, अव्वल इसिलये कि हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। दूसरे यह कि नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा मासूम नहीं जिस से गलती न हो, अगर हम किसी एक को पकड़ेगे और गलती में भी उस की पैरवी करेगे तो गुमराह हो जायेगे। इमाम तो शायद अपनी इजितहादी गलती की वजह से बख्शा जाये लेकिन हम मारे जायेगे।

तीसरे यह कि हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा कामिल नहीं कि जिस को पकड़ कर सारे काम चल जाये। हनफी बनने के बाद बनना पड़ता है — फिर कभी कादरी, कभी चिश्ती, कभी सोहरवर्दी, कभी नक्शबंदी। हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नहीं कि एक को पकड़ कर गुज़ारा हो। दर दर की ठोकरे खाना पड़ती है।

चौथे यह कि एक को पकड़ने से बाकी इमामो का इंकार लाजिम आता है, एक को पकड़ने से फिरके पैढ़ा होते है दीन के टुकड़े टुकड़े होते है। एक के चार टुकड़े ऐसे ही तो हो गये। कुरआन कहता है ''फिरके फिरके न हो (अलरूम 31-32)।

जो फिरके बना लेते है वो मुशरिक हो जाते है। नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक को पकड़ना दीन को बरबाद करने वाला खुद को मुश्रिक बनाने जैसा है (हम अल्लाह से इसकी पनाह मांगते है)।

अब्दूल्लाह :

आपका फिरका कब बना है ?

अहमद् :

हमारा फिरक़ा बना नहीं। फिरका तो वो बनता है जो असल से कटता है और हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी एक इमाम को पकड़ कर अपना नाम उस के नाम पर रखता है फिर उस की तकलीद करता है। हम तो असल है यानी अहले ह़दीस और उसी वक्त से है जब से ह़दीस है। और ह़दीस उस वक्त से है जब से रसुले क़रीम सल्लाल्लाहु अलैहि है। हम हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नहीं पकड़ते कि उस की तक़लीद करके फिरका बने। हम फिरका नहीं हम असल है जो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है उन की ह़दीस पर अमल पैरा है।

अब्दुल्लाह : आप हमारी तरह अहले सुन्नत क्यो नहीं ?

अहमदः आप अहले सुन्नत कहां । आप तो हनफी है । अहले सुन्नत तो हम है जो हनफी शाफई मालिकी हंबली कुछ नहीं सिर्फ अहले सुन्नत है ।

अब्दुल्लाह: आप तो कहते है हम अहले हदीस है।

अहमदः अहले ह़दीस और अहले सुन्नत में कुछ फर्क नहीं असल अहले सुन्नत अहले ह़दीस ही होते हैं।

अब्दुल्लाह : आप अहले हदीस क्यो है ?

अहमद् :

ताकि हनफी अहले सुन्नत और असली अहले सुन्नत में फर्क हो जाय। असली अहले सुन्नत वो होता है जो सिर्फ सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अतैहि वसल्लम का पाबन्द हो, किसी इमाम का मुक्छिद न हो। वो सुन्नत उसे समझता है जो सही हदीसे रसुल से साबित हो। उस के नज़दीक हदीसे रसुल ही सुन्नत का मेयार है, हदीस से ही हर मसले का हल चाहता है। इसीलिये उसे अहले हदीस कहते है। जब इस्लाम सुन्नते रसुल का नाम है और सुन्नते रसुल बगैर हदीसे रसुल के मिल ही नहीं सकती तो अहले सुन्नत बगैर अहले हदीस के हो ही नहीं सकता। हनफी अहले सुन्नत वो है जो शीआ के मुकाबले में अहले सुन्नत वल जमाअत होता है। क्योंकि यह सुन्नत और जमाअते सहाबा को मानने का दावेदार है और वो मुन्किर है लेकिन अमलन यह अहले सुन्नत नहीं होता बिल्क हनफी होता है, क्योंकि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करता है और अहले सुन्नत की तारीफ में किसी इमाम की तकलीद करना बिल्कुल शामिल नहीं। अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले और हनफी उसे कहते हैं जो फिकाहे हनफी पर चले। अब दोनो को एक साबित करने के लिए सुन्नते रसुल और फिकाहे हनफी को एक

साबित करना जरूरी है जो कि करीबन ना मुमकिन है। जब सुन्नते रसुल और फिकाहे हनफी एक साबित नहीं हो सकते तो अहले सुन्नत और हनफी भी एक नहीं हो सकते । एक फर्क यह भी है कि हनफियत उम्मतियों की बनाई हुई है और सुन्नत नबी की।

अवाम तो हनफियो खास कर बरेलवियों को ही अहले सुन्नत मानते है। अब्दुल्लाह :

अवाम को नहीं देखा करते । देखा तो हकीकत को करते है कि हनफी बरेलवी अहमदः की हकीकत क्या है और अहले सुन्नत की क्या ? अहले सुन्नत की हकीकत यह है कि वो सुन्नते रसुल का पाबंद हो, बिद्अतों के करीब न जायेगा । हनफी बरेलवी वो है जो इन का पाबंद हो जो खुद ही बिदअत है। अब जिस की

ज़ात ही बिद्अत हो वो अहले सुन्नत कैसे हो सकता है ?

लेकिन बरेलवी तो अहले सुन्नत होने के खुढ़ भी बड़ें जबरदस्त दावेदार है। अब्दुल्लाह :

जबरदस्त नहीं बल्कि जबरदस्ती दावेदार है। अगर कोई मूंह करे बरेली को अहमद :

और किबला कहे काबे को, रास्ता चले कूफे का और दावा करे मदीने का तो

उसे कौन सच्चा कहेगा

आप का भी तो दावा ही है कि हम अहले सुन्नत है। अब्दुल्लाहः

दावा ही नहीं बल्कि हकीकत है क्योंकि हम सिर्फ रसुलूलाह सल्लाल्लाह् अहमद् : अलैहि वसल्लम की पैरवी करते है और उन को ही अपना इमाम व हादी और पीर-व-मुर्शिद समझते है। उन के सिवा किसी की तरफ मंसूब नहीं होते हम

भी अहले सुन्नत न होते अगर आप की तरह किसी इमाम के मुकलिंद होते

और उस के नाम पर अपनी जमाअत का नाम रखते।

पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में अहले ह़दीस

अब आप शाह अब्दुल कादिर जिलानी रह0 का बयाने हक निशान भी सुने जो हमारे हक में जबरदस्त शहादत है । वो अपनी किताब गुनियातुत्तालेबीन (पेज 294) पर फरमाते हैं :- ''बिद्अतियों की बहुत सी अलामते है जिन से वो पहचाने जाते है. बडी अलामत उन की यह है कि वो

अहले ह़दीस को बुरा भला और सख्त सुस्त कहते है और यह सब उस अरिबयत (तंग नज़री) और बुग्ज (ईर्ष्या) की वजह से है जो उन को असल अहले सुन्नत से होता है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है और वो अहले ह़दीस है। '' शाह अब्दुल कादिर जिलानी रह0 के इस बयान से वाजेह हो गया कि जो अहले ह़दीस को बुरा भला कहते है वो बिदअती है और जो बिदअती हो वो अहले सुन्नत नहीं हो सकते। नतीजा यह निकलता है कि:-

- 1) अहले ह़दीस को बुरा भला कहने वाले अहले सुन्नत नहीं हो सकते ।
- 2) जो अहले ह़दीस के उल्टे सीधे नाम रखते है (कभी वहाबी कहते है कभी गैर मुक्छिद) वो सब बिद्अती है और बिद्अती अहले सुन्नत नहीं हो सकते।
- 3) अहले सुन्नत सिर्फ अहले ह़दीस है बाकी सब जबरद़स्ती के दावेदार है।
- 4) जब शाह जिलानी रह0 निजात पाने वाली जमाअत को अहले सुन्नत करार देते है और वज़ाहत फरमाते है कि अहले सुन्नत सिर्फ अहले ह़दीस होते है तो साबित हुआ कि वो खूद भी अहले ह़दीस थे।
- 5) जब शाह जिलानी रह0 अहले ह़दीस थे और थे भी पीरे कामिल, मुसल्लम इन्द्रलकुल तो मालूम हुआ है कि अहले ह़दीसो में बड़े बड़ें वली गुज़रे हैं।
- 6) जाहिल आतिमो का यह कहना बिल्कुल गलत है कि अहले ह़दीसो मे कोई वली नहीं हुआ।
- 7) जो अहले ह़दीस नहीं था वो वली भी नही था (चाहे जाहिलो ने उसे वली मशहूर कर रखा हो)
- 8) निजात के लिए और वली के लिए भी अहले ह़दीस होना जरूरी है। जो अहले ह़दीस न हो वली बनना तो दूरिकनार उस की निजात का मसला भी खतरे में है।

अब्दुल्लाहः यह बाते बता कर तो आपने मुझे डरा दिया ।

अहमदः आप खुश किस्मत है जो डर गये वरना कितने लोग है जिन को अपनी निजात की फिक्र नहीं। सिर्फ फिरकापरस्ती में बद्मस्त है जो उस की हिमायत को ही दीन की खिद्मत समझते है। सोचने की बात यह है कि पहले हक को पहचाने फिर उस पर पक्का हो जाये।

अब्दुल्लाह : हक का पता कैसे लगे ? हर एक ही अपने आपको हक़ पर समझता है ।

अहमदः हक तो नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहते है और उसी

पर चलवा राहे विजात है।

अब्दुल्लाह: कहता तो हर एक यही है कि मैं हक पर हूं यह पता कैसे लगे कि कौन हक

पर है ?

अहमदः जो दीन में मिलावट न करे वो हक पर है। इस उसूल से आप हर एक को जांच

सकते है दुनिया में हर फिरके ने नबी के बाद अपने आपको किसी न किसी

की तरफ मंसूब कर रखा है और यह उस के मिलावटी होने की दलील है।

अहले ह़दीस ही एक ऐसी जमाअत है जो किसी तरफ मंसूब नहीं होते सिर्फ

नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते है जो ह़दीस से

साबित हो।

अब्दुल्लाह : सुन्नत का क्या मतलब है ?

अहमदः जो रास्ता रसुले करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए मुकर्रर

किया हो उसे सुन्नत कहते हैं और उस पर चलने वाले को अहले सुन्नत ।

अब्दुल्लाह : सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता कैसे और कहां से लगता है

?

अहमदः हदीस पढ़ने और हदीस के आलिमो से पूछने से।

अब्दुल्लाहः ह़दीस के सब ही आलिम होगे।

अहमदः हदीस के आलिम असल में तो अहले हदीस ही होते हैं । हदीस व सुन्नत के

बारे में कुछ मालुम करना हो तो अहले ह़दीस आलिमों से पूछे। फिकह के बारे

में कोई बात जानना हो तो हनफी आलिमो से दर्यापत करें।

अब्दुल्लाह: हद़ीसे कौन-कौन सी मोतबर है ?

अहमदः हदीस की किताबों के कई दर्जे हैं । कुछ आला दर्जे की कुछ दरिमयाना दर्जे

की, कुछ कम दर्जे की और कुछ बेकार । आला दर्जे की तीन किताबे है 1)

सहीह बुखारी 2) सहीह मुस्लिम 3) मुअत्ता इमाम मालिक । दरमियाना दर्जे मे

तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा और मुसनद अहमद वगैरह। तीसरे दर्जे

मे त्हावी, तिबरानी, और बैहकी। तीसरे दर्जे की किताबों में चूंकि हर तरह की

हदीसे है इसलिए आमाल का दारोमदार और मोहदिसीन और फिकहा का

एतबार सिर्फ पहले और दूसरे दर्जे की किताबों पर है। चौथे और पांचवे दर्जे की किताबे बहुत हद तक एतबार के लायक नहीं है।

अब्दुल्लाह: किताबों के यह तकसीम किसने की है ?

अहमदः पहले उलेमा ने । शाह वली उल्लाह साहब देहलवी की हुज्जातुल्लाह पढ़ कर

देखे आप को इंशाअल्लाह सब कुछ मालुम हो जायेगा ।

अब्दुल्लाह: इस तकसीम को सब फिरके मानते है।

अहमदः अहले सुन्नत कहलाने वाले सब फिरके मानते है।

अब्दुल्लाह: यया दर्जा अव्वल की किताबों की तमाम हदीसे सही है ?

अहमदः हां करीब करीब सब सहीह है।

अब्दुल्लाह: अल्लाह ने कुरआन मजीद में हमारा नाम मुस्लिम रखा है फिर आप अहले

ह़दीस क्यो कहलाते है ?

अहमदः मूस्लिम तो हमारा जाती नाम है जैसा कि बच्चे की पैदाईश पर उस का रखा

जाता है लेकिन अहले ह़दीस हमारा सिफाती नाम है जो हमारे तरीकेकार को

ज़ाहिर करता है। आद्मी के कई नाम उस के पेशे, मशागिल और उस के

औसाफ के पेशेनज़र पड़ जाते है । न यह शरअन मना है उरफन । रसुलूल्लाह

सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहम्मद और अहमद जाती नाम थे। हाशिर,

आकिब, मुक्फी वगैरह बहुत से सिफाती नाम है जो आप सल्लाल्लाहु अलैहि

वसल्लम को मुमताज़ करते हैं । कुरआन ने ईसाईयों को अहले इंजील कहा है

(अलमायदा ४७) ह़दीस में है 'ऐ अह़ले क़ुरआन वित्र पढ़ा करो।''

अब्दुल्लाह : कुछ भी हो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मे तो यह मुसलमानो

का नाम नहीं था।

अहमदः ययो नहीं था नाम तो था अगरचे मशहूर नहीं था, क्योंकि सब ही दीन को

कुरआन से यह फिर मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ही

लेते थे, मगर जब शीआ का चर्चा हुआ तो अहले सुन्नत वल जमाअत का नाम

मशहूर हुआ , जब इमामों की अंधी तकलीद ने जोर पकड़ा तो अहले ह़दीस के

नाम को फरोग हुआ । सहाबा किराम अपने आप को इन नामो से पुकारते थे ।

हज़रत अबू सईद खुदरी रिदअल्लाह तआला अनहू सहाबी रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस के नवजवान सीखने वालो को देखते तो कहते — नवजवानो तुम्हे नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत मुबारक हो मरहबा नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमे हुक्म दिया है कि अपने इल्मी मजिलसो को तुम्हारे लिए फैला दे और तुम्हे हदीस हो। देखा आपने।

अब्दुल्लाह :

अगर सिफाती नाम रखना बिद्अत नहीं तो फिर हनफी कहलाने मे क्या हर्ज है

?

अहमदः

हनफी कहलाने में बहुत हर्ज है। एक हनफी कहलायेगा तो दूसरा शाफई, इस तरह से इस्लाम में फिरके पैदा होगे। जब हमारा असली नाम अल्लाह की तरफ से मुस्लिम है तो सिफाती नाम ऐसा होना चाहिये जो असली से मेल रखता हो। हनफियत से इस्लाम की तारीफ नहीं होती क्यों कि हनफियत इस्लाम की कोई किस्म नहीं है। नाम वो रखना चाहिये जो इस्लाम के मुताबिक हो। अहले हदीस नाम इसीलिए ज्यादा जामे है क्योंकि अहले हदीस से मुराद वो जमाअत है जो कुरआन व हदीस पर अमल करे।

अब्दुल्लाह :

हमने सुना है कि आप तकलीढ़ को भी शिर्क कहते है, हालांकि तकलीढ़ का शिर्क से क्या तआल्लुक है ?

अहमद् :

तआल्तुक क्यो नहीं, तकलीढ़ और शिर्क का तो चोली दामन का साथ है। शिर्क तकलीढ़ की सरजमीन पर ही उगता है। हर मुशरिक पहले मुकलिंद होता है फिर मुशरिक। अगर तकलीढ़ न हो तो शिर्क कभी पैदा न हो मुकलिंद अपने इमाम को इतना बड़ा समझता है कि खुढ़ को जानवर मान लेता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अल्लाह का शरीक ठहरा लेता है।

अब्दुल्लाह :

ये तो आपने गलत कहा अल्लाह का शरीक कैसे ?

अहमद् :

इस तरह कि उस की बात को खुदाई हुक्म समझता है।

अब्दुल्लाह :

यह शिर्क और शरीक ठहराना कैसे हुआ ?

अहमद् :

अल्लाह का हक अपने इमाम को जो दिया कुरआन मे है ''उन्होंने ऐसे शरीक बना रखे है जो उन के लिए दीन मे ऐसे मसले बनाते है जिन की मंजूरी अल्लाह ने नहीं दी'' इस आयत मे जिस के कौल व कयास को दीन समझा जाय उस को अल्लाह ने अपना शरीक करार दिया है। अल्लाह के हुक्म के बिना तो नबी की बात दीन नहीं हो सकती तो फिर आलिमो की राय और कयास को दीन कैसे बनाया जाय। लेकिन मुकल्लिद अपने इमाम की बात को दीन समझता है। अल्लाह तआ़ला फरमाता है ''यहूद व नसारा जब बिगड़े तो उन्होंने अपने उलेगा व मशाइख को रब बना लिया '' (सुरह तौबा-31)। अदी बिन हातिमताई रिदअल्लाह अनहू जब मुसलमान हुये तो उन्होंने पूछा या रसुलूल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम हमने तो अपने उलेमा और मशाइख को रब नहीं बनाया था आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम उन के हलाल कर्दा को हलाल और उन के हराम कर्दा को हराम नहीं समझते थे यानी की उन की राय को दीन नहीं बना लेते थे ? उन्होंने कहा यह बात तो थी, आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो रब बनाना है (तिर्मिजी)।

अब्दुल्लाह: हम तो अपने इमाम को रब नही बनाते हम तो सिर्फ इमाम मानते है।

अहमदः रब तो वो ईसाई और यहूदी भी नहीं कहते थे लेकिन दर्जा उन को रब का देते थे इसीलिए अल्लाह ने इसे रब बनाना करार दिया है। नाम बदल देने से हकीकृत नहीं बदल जाती। आखिर आप इमाम क्यो बनाते हैं ?

अब्दुल्लाह: दीन के मसले लेने के लिए।

अहमदः यही काम तो यहूद व नसारा किया करते थे जैसा कि हज़रत अदी बिन हातिमताई रदि० ने मुसलमान होकर तस्लीम किया । क्या ऐसी इमामत की इस्लाम में गुजांईश है ?

अब्दुल्लाह : यया कुरआन मजीद में नहीं ''व ज अलना हुम अइम्मतैयहदुना बेअमरेना'' और हमने उन्हें इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों को राह दिखाते थे (सुरह अल अंबिया -73)

अहमदः यह तो निबयों के बारे में है नबी तो इमाम हो सकता है बिल्क इमाम होता है

क्योंकि उसे अल्लाह इमाम बनाता है नबी के सिवा कोई इमाम नहीं हो सकता

١

अब्दुल्लाह: आप कहते है कि नबी के सिवा इमाम नहीं हो सकता हालांकि इस्लाम मे बड़े

बड़ें अइम्मा-ए-दीन गुजरे है ।

अहमदः अइम्मा-ए-दीन से मुराद यह है कि वो दीनी ऊलूम के बड़े आलिम थे न कि

काबिल इताअत । इस किस्म की इमामत का तसव्वुर इस्लाम मे बिल्कुल नहीं

है। सब से पहले यह अकीदा शीयाओं ने घड़ा, अहले सुन्नत ने यह अकीदा उन

से लिया । शिया ने यह अकीदा अकीदा ए रिसालत को कमजोर करने के लिए

घड़ा था, उनके यहां पैगम्बर और इमाम में कोई फर्क नहीं । मुकलिद चाहे

सुन्नी हो या शीआ इमामत का तसव्वर करीबन एक ही है।

अब्दुल्लाह : शीआ तो अपने इमाम को मासूम कहते है हम अपने इमाम को मासूम तो नहीं

कहते ।

अहमदः ज़बान से बेशक न कहे लेकिन समझते मासूम ही है, जब ही उन के नाम पर

मज़हब बना कर हनफी कहलाते है इसीलिए हम कहते है कि इस्लाम मे

सिवाये पैगम्बर के कोई इमाम नहीं हो सकता।

अब्दुल्लाह : इमाम तो हमने इस लिए बनाया है कि कयामत के रोज बुलाया ही इमामो के

नाम पर जायेगा जैसा कि कलाम पाक की आयत ''जिस दिन हम सब लोगों

को उनके इमामो के साथ बुलायेगे'' (सुरह बनी इस्रराईल-71) ।

अहमदः इस आयत में इमाम से मुराद नामा ए आमाल है आप के बनाये हुये इमाम नहीं

इसी के आगे वजाहत मौजूद है हम तमाम लोगों को उन के नामा ए आमाल के

साथ बुलायेगे फिर जिस के दाये हाथ में नामा ए आमाल दे दिया गया वो उस

को पढ़ेगा और खुश होगा । जुल्म किसी पर न होगा – लेकिन इमाम का

मतलब इमाम ही लिया जाय तो इमाम वो है जिन को अल्लाह ने इमाम बनाया है

यानी अंबिया अलैहिस्सलाम , कयामत के रोज उम्मतो को उन के अंबिया के

नाम पर पुकारा जायेगा । फिर खुश किस्मत होगे वो लोग जिन्होने अपने

इमाम बना कर उनकी तकलीद नही की बल्कि निबयो की पैरवी की, वो अपने

निषयों के साथ जन्नत में चले जायेंगे अहले ह़दीस के लिए यह बहुत बड़ा शर्फ है कि उन के इमाम सिर्फ नबी ए अकरम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उन के साथ जन्नत में चले जायेंगे और गैर नबी की बात को हुज्जत समझने वाले और गैर नबी की पैरवी करने और गैर नबी को अपना इमाम बनाने वाले खड़े रह जायेंगे। क्योंकि आयत के शुरू में ही वजाहत है कि हम सभी लोगों को बुलायेंगे इसमें मुसलमान, यहूदी नसारा, सब शामिल है क्योंकि अल्लाह ने सब की तरफ नबी भेजे हैं, अगर इससे मुराद सिर्फ इमाम होते तो अल्लाह फरमाता कि हम सभी मुसलमानों को उनके इमामों के साथ बुलायेंगे। और आपके इमाम अबू हनीफा रह0 तो है नहीं क्योंकि उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इमाम हूं मेरी तकलीढ़ करना।

अब्दुल्लाह :

हम जो इनको मानते है और इमाम समझते है।

अहमद :

आप के समझने और कहने से क्या होता है ? जब तक इमाम इक्तिदा की नियत न करे वो इमाम कैसे बन जायेगा ? आप तो यह बताये कि देवबन्दी और बरेलवी दोनो ही अबू हनीफा रह0 को इमाम मानते हैं । अब देवबंदी और बरेलवी दोनो तो जन्नत में जा नहीं सकते इसिलए कि वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं तो फिर इमाम अबू हनीफा रह0 किस के साथ होगे क्योंकि वो तो दोनो के इमाम है । इसी तरह अगर शीआ अपने इमामों के साथ जन्नत में चले गये तो फिर सुन्नी अपने इमामों के साथ कहां जायेगे और सुन्नी अगर जन्नत में चले गये तो शीआ कहां जायेगे जन्नत में तो दोनो जा नहीं सकते अब आप ही बताये आप के उसूल पर शीआ इमाम दोज़ख में जायेगे या सुन्नी हांलांकि इमाम दोनो फिरको के नेक और स्वालेह थे और वो इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जायेगे

अब्दुल्लाह :

ः बात तो आप की ठीक है यह इमामो का मसला है तो यकीकनन बहुत बड़ा चक्कर।

अहमद् :

ऐसा ही चक्कर वो है जो मुकल्लिढ़ीन कहते है कि हम अपने इमामों और औलिया के साथ होगे क्योंकि हमें उन से मुहब्बत है और अहले हढ़ीस चूंकि किसी को मानते नहीं इसलिए उनको किसी का भी साथ नसीब नहीं होगा। हम तो एक बात जानते है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कभी उस से मुहब्बत नहीं रखेगे जो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद उन की इतिबा न करे । इसी तरह हज़रत हुसैन रजि० शाह जिलानी रह० और दूसरे इमाम व औलिया कभी किसी ऐसे से मुहब्बत नहीं रख सकते जो हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी न करे बल्कि शिर्क व बिद्अत करे और अपनी तरफ से इमाम बना कर उन की तकलीढ़ करे। वो सब जानते है कि इताअत सिर्फ अल्लाह के हुक्म की है इस लिए वह अपनी पैरवी किस तरह करा सकते है ? क़ुरआन मजीद में है ''उसके पीछे चलो जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ उतारा है उस का हुक्म मानो, उस का हुक्म छोड़ कर औलिया के पीछे न जाओ 1'' औलिया से मुराद यहां वो हस्तियां है जिन को लोग खुद तजवीज करते है और अपने लिए ज़रिया-ए-निजात समझ कर सहारा बनाते हैं हालांकि सिवाये पैगम्बर की पैरवी के और कोई निजात का जरिया नहीं है। दुनिया मे जितने शिर्क व बिद्अत करने वाले हैं हकीकत मे उन का पीर, उनका इमाम और उनकी वली सिर्फ शैतान है वो नाम अल्लाह वालो और इमामो का लेते है लेकिन पैरवी शैतान की करते हैं । कुरआन शैतान की पैरवी से मना करता है । कुरआन कहता है ''शैतान की इबादत न करो (यासीन -60) ''शैतान की पैरवी न करो (अल बकरा -168) कयामत के रोज जब अल्लाह तआला दोज़रिवयो को दोज़ख में डालने के लिए अलेहदा कर लेगा तो फरमायेगा '' ऐ इंसानो क्या मैने तुम्हे नहीं बताया था कि शैतान की इबादत न करना वो तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इबादत मेरी करना यही सीधा रास्ता है, किन तुमने परवाह न की, उसने तुम में से कितनी भारी ताढ़ाढ़ में गुमराह कर लिया है, क्या तुम बेअक्ल थे जो तुम्हे पता नही लगा" (सुरह यासीन -60,61) यह होता यूं है कि जब शैतान किसी को नबी की पैरवी मे जरा नर्म देखता है तो फौरन उस को अपने दामन में लेने की कोशिश करता है, अपने बड़े बड़े इंसानी चेलो के जरिये नबी की जगह पैरवी के लिए उन बुजुर्गों के नाम तजवीज़ करता है जिन की दुनिया में मकबूलियत व शोहरत होती है, उन के नाम पर शिर्क व बिद्अत के बड़े बड़े सिलसिले जारी करता है (तसव्वुर उन बुजुर्गों का पेश करता है और पूजा पाठ अपनी कराता है) अनपढ़ जाहिल उन बुजुर्गों के नामो की वजह से उसके धोखे में आ जाते हैं और उस की पैरवी करने लग जाते हैं और नहीं समझते कि हम किस उल्टी राह पर लग गये है बल्कि उस उल्टी राह को ही राहे रास्त समझते हहै । अल्लाह फरमाता है ''शैतान के गुमराह किये हुए लोग काम गलत करते है लेकिन जिहालत की वजह से यह समझते है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं''(अल कहफ-104) यह कितना बड़ा धोखा है और अल्लाह ने उस के धोखे से बार बार खबरदार किया है ''होशियार रहना. धोखेबाज तुम को धोखा ढ़ेकर खुढ़ा से दूर न कर ढ़े, यह धोखेबाज़ शैतान तुम्हारा दृश्मन है इसे दृश्मन ही समझना'' शैतान इमामों और औलियाओं का नाम लेकर ऐसा ज़ेहन तैयार करता है कि वो उनकी इबादत शुरू कर दतें है। रह गये असली बुज़ुर्ग जिन के नाम लेकर शैतान अपनी इबादत करवाता है उन को पता तक नहीं होता कि उन के मानने वाले कौन है और वो क्या करते है। वो बुजुर्ग बिल्कुल बेखबर होते है । कुरआन मजीद मे है ''जिन को तुम पुकारते हो, जिन की तुम इबादते करते हो वो तुम्हारी इन हरकतों से बिल्कुल बेखबर है कयामत के दिन वो तुम्हारे मुखालिफ होगे (सुरे अल अहकाफ -5)(सुरे युनुस-28)(सुरे मरयम-82) ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा ''ऐ ईसा ईसाई जो तेरी और तेरी मां की इबादत करते है तो क्या तुने उन से कहा था कि ऐसा करना''(सुरह अल माइदा -116) वो साफ इंकार कर देंगे। ऐसे इमाम अबू हनीफा रह0 और दूसरे औतिया भी साफ इंकार कर देगे कि हमने उन से नहीं कहा था कि हमारी तकलीद करना, यह सब कुछ अपनी मर्जी से करते रहे है । इसिलये तकलीद का सिलसिला सरासर गुमराही है उस से बिल्कुल बचना चाहिए । अब आप खुद देखे कि आप को सुन्नते रसुल चाहिये या सुन्नते इमाम ? अगर सुन्नते रसूल चाहिये तो वो हदीसे रसूल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी और सुन्नते इमाम चाहिये तो वो फिकहा ए हनफी से मिलेगी।

अब्दुल्लाह: सुन्नत रसूल की होती है न कि इमाम की।

अहमदः अगर इमाम की सुन्नत नहीं है तो आप हनफी क्यो बने ? आखिर हनफी किसे

कहते है

अब्दुल्लाह : हनफी वो होता है जो कि फिकहा ए हनफी पर चले ।

अहमदः फिकहा ए हनफी किसे कहते है ?

अब्दुल्लाहः इमाम अबू हनीफा रह0 के मसलक को ।

अहमदः मसलक से क्या मुराद है ?

अब्दुल्लाहः मसलक तरीके को कहते है।

अहमदः सून्नत भी तो तरीके को ही कहते है । जब हम कहते है कि यह हुजुर

सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो इसका यह मतलब होता है कि

यह उन का तरीका है इस तरीके से नबी करीम सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने

यह काम किया था करने को कहा था। तो जिस तरीके पर आप चलते हैं इस

तरह आप उनकी सुन्नत पर अमल करते है कहिए यह ठीक है या नहीं ?

अब्दुल्लाह : यह बिल्कुल ठीक है यह बात मेरी समझ मे आ गई।

अहमदः इसीलिए तो हम कहते है कि हनफी इमाम अबू हनीफा रह0 के तरीके पर

चलता है और अहले ह़दीस रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके

प्र ।

अब्दुल्लाहः लेकिन इमाम अबू हनीफा रह० को तरीका कोई अलेहदा तो नहीं उनका

तरीका भी तो वही है जो रसुल सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम को है।

अहमदः तरीका वहीं हो या मुख्तिलफ हनफी के पेशे नजर तो तरीका ए हनफी ही

होता है, वो तो हनफी तरीके पर ही चलता है, जो उस के मज़हब मे है चाहे वह

सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम न हो वो उस पर जान देता है।

अब्दुल्लाह : मैं यह मानता हूं हमें बिल्कुल यह ख्याल नहीं होता कि हमारा यह मसला

सुन्नते रसुल के मुताबिक है या मुखालिफ हमें तो यह याद होता है कि हम

हनफी है और हमें अपने फिकहा पर चलना है, हम तो अपने इमाम के मज़हब

पर चलेंगे । अगर हमारे इमाम ने किसी ह़दीस पर अमल नहीं किया तो हम

क्यो करे ।

अहमद् :

ठीक है जब वो सुन्नते रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलता नहीं, और अपने ईमाम की सुन्नत पर चलता है तो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो ''मुहम्मद रसुलुल्लाह'' साथ पढ़े और अहले सुन्नत होने का दावा करे। जिस पाबन्दी से आज एक हनकी अपने इमाम की तकलीद करता है अगर वो उसी पाबन्दी के साथ इत्तिबा-ए-रसुल करे तो उस की निजात हो जायेगा।

आप जो इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीढ़ करते है अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की तकलीद भी करें तो भी निजात नहीं । हुजूर सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ''अगर आज मुसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे वास्ते जाहिर हो जाये और तुम उनके पीछे लग जाओ तो गुमराह हो जाओ, और अगर आज मुसा अलैहिस्सलाम होते तो उनको भी सिवाए मेरी इताअत के और कोई चारा न होता''। अब आप खुढ़ सोच ले कहां मूसा अलैहिस्सलाम और कहां इमाम अबू हनीफा रह0 जब नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी के बाद मुसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में निजात नहीं तो इमाम अबू हनीफा रह0 की तकलीद में कैसे निजात हो सकती है। बल्कि हम तो खुद इमाम अबू हनीफा रह0 के कौल पर अमल करते है कि आप का फरमान है ''मेरी बात पर फतवा या अमल तब तक न करो जब तक तुम्हे ये ना पता हो कि मैने कहां से कही" यानि बगैर दलील अमल मत करो । "और जब मेरी बात ह़दीसे रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा जाये तो उसे दीवार पर मार दो'' और दीन वहीं से लो जहां से हमने लिया यानि कुरआन व सुन्नत से, जब ह़दीसे सहीह मिल जाये वही मेरा मज़हब है'' ये ज़ुमले तो ख़ुद बता रहे है कि इमाम साहब ख़ुद अहले ह़दीस थे

हम तो आप को रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दे रहे है जिन का आप कलमा पढ़ते है जिन की पैरवी मे ही निजात है और इस से बाहर निजात का कोई तसव्वुर नहीं। सोच ले मामला निजात का है अगर इस हनफियत पर आप का खात्मा हो गया तो मामला बड़ा खतरनाक है।

क्योंकि कुरआन फरमाता है :-

- और अल्लाह और उसके रसुल की इतआत करो, ताकि तुम पर रहम किया जाय
 (आले इमरान-132)
- और जब उनको कोई कहे कि अल्लाह और उसके रसुल के हुक्म की तरफ आओ, तु मुनाफिको को देखता है सामने आने से रूकते है (सुरह निसा -61)
- 3) तेरे रब की कसम हर्गिज ये लोग ईमानदार न होगे जब तक आपस के इख्तेलाफ मे तुझे ही इंसाफ करने वाला न बना ले (सुरह निसा-65)
- 4) और जब कोई उनसे कहे कि अल्लाह के हुक्म और रसुल के रास्ते पर आओ तो कहते है कि जिस राह पर हमने बाप-दादाओं को पाया वही हम को काफी है। अगर्चे उनके बाप-दादा न कुछ जानते हो और न सीधी राह पाये हो (सुरह बकरा-170)(सुरह माइदा-104)
- 5) और कहो यही मेरा सीधा रास्ता है बस तुम उसी की ताबेदारी करो, और दुसरे रास्तो की ताबेदारी न करो वरना तुम को अल्लाह की राह से तितर-बितर कर देगे। इसी का अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि तुम परेहजगार हो। (सुरह अनआम - 152)
- 3ोर जो कुछ तुम्हे रसुल दे और जिस चीज़ से मना करे उससे रूक जाओ (अल हश्र-7)
- 7) ऐ लोगों जो ईमान लाये हो, अल्लाह की इताअत करो व उसके रसुल की इताअत करो और (उनकी मुखालेफत करके) अपने आमाल बरबाद मत करो (मुहम्मद -33)
- 8) ऐ रसुल कह दीजिये ''अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो खुद अल्लाह तआला तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा (आले इमरान -31)
- 9) सुनो जो लोग हुक्मे रसुल की मुखालेफत करते है उन्हे डरते रहना चाहिये कि कही उन पर कोई जबरदस्त आफत या दर्दनाक अज़ाब न आ पड़े (सुरह नूर -63)

10) जिसने रसुल की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मूंह मोड़ा तो हमने तुम्हे ऐसे लोगों पर कोई रखवाला बनाकर नहीं भेजा (सुरह निसा-80)

वा आखरूदवानि वलहम्दुिहाहे रब्बिल आलेमीन

इस्लामिक दावाअ सेन्टर,

रायपुर, छत्तसीगढ़